न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :–185/23

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक न्यू कोहिनूर सिनेमा, चौपासनी रोड़ जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राम कृष्ण		• श्री नरू जोशी उर्फ नरहू उर्फ नरूराम पुत्र श्री चिनाराम जोशी 63,/69, मगराज जी का टांका, पहाडगंज–1 बीएसएफ ट्रेनिंग सेन्टर, मण्डोर रोड़ जोधपुर • श्री कमला देवी पत्नी श्री नरू जोशी उर्फ नरहॅ उर्फ नरू राम 63,/99, मगराज जी का टांका, पहाडगंज–1 बीएसएफ ट्रेनिंग सेन्टर, मण्डोर रोड़, जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

आदेश दिनांक :–14.02.2024

उपस्थिति :–

1–महेश कुमार सैनी अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी पक्ष की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण श्री नरू जोशी उर्फ नरहू उर्फ नरूराम पुत्र श्री चिनाराम जोशी व अन्य के विरूद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये [illegible] लाख आवासीय ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण **श्री नरू जोशी उर्फ न[illegible] नरूराम पुत्र श्री चिनाराम जोशी एवं श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री नरू [illegible] नरू राम** की जायदाद **मकान नं. 63/99, पहाड़गंज–1 जोधपुर** जिसका कुल [illegible] गज जिसके **पूर्व में श्री रामसिंह की सम्पति, पश्चिम में गली, उत्तर में श्री रामनिवास की सम्पत्ति, [illegible] में गली** आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर [illegible] अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.17 18:42:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज०)

अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 23.06.2020 तक 5,30,119/– रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपाथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 6 लाख आवासीय ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 23.06.2020 तक 5,30,119/– रूपये वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद **श्री नरू जोशी उर्फ नरडू उर्फ नरूराम पुत्र श्री चिनाराम जोशी एवं श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री नरू जोशी उर्फ नरडू उर्फ नरू राम** की जायदाद **मकान नं. 63/99, पहाड़गंज–1 जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 81.67 वर्ग गज.** जिसके **पूर्व में श्री रामसिंह की सम्पति, पश्चिम में गली, उत्तर में श्री रामनिवास की सम्पत्ति दक्षिण में गली** आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 14.02.2024 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज०)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.17 18:42:08 IST
Reason: SelfAttested